प्रेस नोट ***07/04/2026***

ग्राम काझाखुर्द मे निर्माणकार्य के विवाद को लेकर लाठी डण्डा आदि से लैश होकर कारित की गयी गम्भीर मारपीट की घटना मे इलाज के दौरान 01 व्यक्ति की मृत्यु हो जाना तथा घटना मे संलिप्त 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 07.04.2026 को मु0अ0सं0 111/2026 अन्तर्गत धारा 191(2),109(1), 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम काझा खुर्द मे दिनांक 26.03.2026 को निर्माण कार्य के विवाद को लेकर लाठी डण्डा आदि से लैश होकर गम्भीर मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके क्रम मे दिनांक 26.03.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 333, 74, 309(6) बीएनएस बनाम नन्दलाल उर्फ पिन्टू आदि 23 नफर पंजीकृत किया गया। अस्पताल मे इलाज के दौरान मारपीट से गम्भीर रूप से घायल हरगोविन्द पुत्र सगुवर निवासी खाजापुर पोस्ट पलिगढ़ जिला मऊ की दिनांक 27.03.2026 को मृत्यु हो गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विवेचना मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2), 109(1), 103(1), 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस बनाम आदि 23 नफर के विरूद्ध सम्पादित की गयी। जिसके क्रम मे दिनांक 28.03.2026 को 05 नफर अभियुक्तो को पहले ही गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है , शेष वाछिंत अभियुक्तो की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम मे प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह मय हमराह का0 विशाल वर्मा व हे0का0 अकमल खां के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त रोशन पुत्र रामप्यारे निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष को कलेक्ट्रेट तिराहा के पास से समय करीब 12.05 बजे दिनांक 07.04.2026 को अन्तर्गत धारा 191(2),109(1), 115(2),352,351(2),333,103(1) बी0एन0एस0 मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

नाम पता अभियुक्त -

1. रोशन पुत्र रामप्यारे निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- प्र0नि0 संजय सिंह
2- हे0का0 अकमल खां
3- का0 विशाल वर्मा

थाना दक्षिण टोला द्वारा 72 घण्टे के अन्दर दो अपहृताओं की बरामदगी–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा चलाये जा रहे अपहृता/गुमशुदा की बरामदगी के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के निर्देशन व कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.04.2026 को पिता डांट से क्षुब्ध होकर हरियाणा चली गयी दोनो अपहृताओं को 72 घण्टे के अन्दर बरामद किया गया।

दिनांक 04.04.2026 को आवेदक जितेन्द्र साहनी पुत्र शिवनरायन साहनी सा0 बख्तावरगंज थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा थाना दक्षिण टोला पर खुद की दो लड़कियों के कही चले जाने के सम्बन्ध में प्रा0पत्र दिया था, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 पंजीकृत करते हुए पुलिस टीम गठित कर अपहृताओं की तलाश शुरू की गयी तथा तलाश के क्रम अपहृताओं को पुलिस टीम द्वारा 72 घण्टे के अन्दर हरियाणा से सकुशल बरामद किया गया। बरामदगी के उपरान्त विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रत्नेश्वर सिंह पुत्र रामाधार सिंह निवासी दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 07.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी।

अभियान के अंतर्गत 38 टीम गठित कर 862 वाहनो की चेकिंग की गयी जिसमें कुल 449 वाहनों का चालान एवं 04 वाहन सीज किया गया साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थानावार विवरण निम्नवत है।

1. कोतवाली नगर –36 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 118 टीमों द्वारा 04 वाहनों का चालान।
2. सरायलखन्सी – 16 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 85 टीमों द्वारा 03 वाहनों का चालान।
3. दक्षिण टोला – 10 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 45 टीमों द्वारा 03 वाहनों का चालान।

4. घोसी – 32 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 108 टीमों द्वारा 04 वाहनों का चालान एवं वाहन 02 सीज।
5. दोहरीघाट – 09 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 56 टीमों द्वारा 03 वाहनों का चालान।
6. कोपागंज – 22 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 145 टीमों द्वारा 04 वाहनों का चालान।
7. मुहम्मदाबाद – 11 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 76 टीमों द्वारा 05 वाहनों का चालान।
8. रानीपुर – 09 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 68 टीमों द्वारा 03 वाहनों का चालान।
9. चिरैयाकोट – 13 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 46 टीमों द्वारा 03 वाहनों का चालान एवं वाहन 01 सीज।
10. मधुबन – 02 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 56 टीमों द्वारा 02 वाहनों का चालान एवं वाहन 01 सीज।
11. हलधरपुर – 03 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 24 टीमों द्वारा 02 वाहनों का चालान।
12. रामपुर- 06 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 35 टीमों द्वारा 02 वाहनों का चालान।
13. यातायात शाखा – यातायात शाखा द्वारा विभिन्न स्थानो पर चेकिंग कर कुल 280 वाहनो का चालान किया गया।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को ₹2000 अर्थदंड से हए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 06-04-2026 को मु0अ0सं0 214/1999 धारा 323/325/504 भादवि का अभियोग थाना हलधरपुर जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त हरेलाल पुत्र ब्रह्मदेव चौहान निवासी वकुचौडाड़ीडीह थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्त को 3 माह की परीक्षा के दंड से हुए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 अपर सिविल जज कोर्ट संख्या 2 मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 07-04-2026 को मु0अ0सं0 34A/1998 धारा 323/452/504/506 भादवी का अभियोग थाना हलधरपुर जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्तगण तस्लीम पुत्र अहमद, समीम पुत्र अहमद, नासीम पुत्र अहमद निवासीगण महापुर समसपुर थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 3 माह की परीक्षा के दंड से दंडित किया गया।

सार्वजनिक स्थानो पर हुड़दंग मचाने वाले 16 व्यक्ति/ शोहदें गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानो पर हुड़दंग मचाने वाले 16 व्यक्ति/शोहदो को गिरफ्तार किया गया । जिनका बंधपत्र भरवाकर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :–

1. थानाध्यक्ष बसन्त लाल
2. उराहुल कुमार 0नि0
3. उअरूण कुमार सिंह 0नि0
4. मनि निशा त्रिपाठी0उ0
5. कासौरभ यादव 0
6. काअमित कुमार 0
7. कामुलायम यादव 0
8. काअनुराग यादव 0